समयबद्ध/शीर्ष प्राथमिकता

संख्या-1080/26-2-2014

प्रेषक,

जावेद उस्मानी,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त,
उ0प्र0।
2- समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

समाज कल्याण अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 22 मई, 2014

विषयः- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन के लिए निर्धारित किये गये भौतिक लक्ष्य के सापेक्ष नये लाभार्थियों के चयन विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-3022/26-2-2013, दिनांक 02.01.2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन के लिए निर्धारित किये गये भौतिक लक्ष्य के सापेक्ष 4,74,717 नये लाभार्थियों का चयन किये जाने के निर्देश दिये गये थे। उक्त शासनादेश में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया था कि वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई अधिकतम संख्या की सीमा तक लाभार्थियों का चयन करके उन्हें लाभान्वित कराने हेतु एक समयबद्ध अभियान चलाया जाये तथा नये लाभार्थियों को चयनित करने की कार्यवाही विलम्बतम दिनांक 31.03.2014 तक पूर्ण कर ली जाय।

2- शासन के संज्ञान में आया है कि वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये गये भौतिक लक्ष्य के सापेक्ष नये लाभार्थियों का चयन किये जाने की स्थिति/प्रगति अत्यन्त असंतोषजनक है। जनपदों से प्राप्त सूचना के अनुसार (जो संलग्न है) अभी तक प्रदेश में निर्धारित नवीन आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष लगभग 30 प्रतिशत ही नये लाभार्थियों का चयन किया गया है। उपलब्ध सूचना के अनुसार जनपद हाथरस, कासगंज, आजमगढ़, बलिया, मऊ, कन्नौज, कानपुर देहात, बलरामपुर, बाराबंकी, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, मेरठ, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर एवं सोनभद्र में आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष चयनित नवीन लाभार्थियों की सूचना शून्य है। जनपदों को आवंटित कुल अतिरिक्त लक्ष्य 4,74,717 के सापेक्ष मात्र 1,44,279 नये लाभार्थियों का चयन किया गया है। अभी भी 3,30,438 नये लाभार्थियों का चयन किया जाना अवशेष है। उक्त से स्पष्ट है कि नवीन लाभार्थियों का चयन किये जाने के सम्बन्ध में जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा कोई रूचि नहीं दिखाई गई है।

3- अतः उक्त वर्णित स्थिति के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपने जनपदों में एक विशेष अभियान चलाकर दिनांक 30.06.2014 से पूर्व प्रत्येक दशा में आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष नये

http://shasanadesh.up.nic.in

लाभार्थियों का चयन करने की कार्यवाही प्राथमिकता पर कराना सुनिश्चित करें तथा चयनित लाभार्थियों का सी0बी0एस0 बैंक खाते भी खुलवाने की कार्यवाही भी सम्पादित करायें, साथ ही उनका सम्पूर्ण विवरण सी0पी0एस0एम0एस0 साफ्टवेयर पर अपलोड करायें। जिलाधिकारी के स्तर पर इस अभियान की नियमित साप्ताहिक समीक्षा की जाय। उल्लेखनीय है कि नये लाभार्थियों को योजना का लाभ वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्राप्त होना है।

कृपया उपरोक्तानुसार शीर्ष प्राथमिकता पर कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः- यथोक्त

भवदीय,

जावेद उस्मानी
मुख्य सचिव।

पृ0सं0-1080(1)/26-2-2014 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- आयुक्त, समाज कल्याण, उ0प्र0।
2- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
4- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
5- विभागीय पुस्तिका।

आज्ञा से,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in